बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.....

संख्या–9/आरोप (राज0उ0)–2–12/2015–..6065/ श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के फलस्वरूप फर्जी चालान के माध्यम से सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाना, प्रशासनिक क्षमता का अभाव होने के कारण अधीनस्थ कर्मियों/कार्यालय पर प्रभावकारी नियंत्रण का अभाव एवं निजी स्वार्थ के लिये पद का दुरूपयोग कर अनुज्ञाधारियों को अनुचित लाभ पहुँचाकर सरकारी राजस्व का गबन करना आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं0–335 दिनांक–19.01.2016 यथा संशोधित विभागीय पत्रांक–1673 दिनांक–31.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित किया गया था।

2. श्री कुमार के विरूद्ध अधीक्षक उत्पाद, नवादा के पदस्थापनकाल से संबंधित अन्य मामले में विभागीय अधिसूचना सं0–3038 दिनांक–28.06.2016 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दंडादेश अधिरोपित किये जाने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही को Abeyance में रखते हुए वापस ले ली गयी। विभागीय अधिसूचना सं0–3038 दिनांक–28.06.2016 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दंडादेश को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद में CWJC No.-610/2017 में प्राप्त आदेश के आलोक में अधिसूचना सं0–2254 दिनांक–28.06.2019 द्वारा निरस्त करते हुए उसी तिथि से श्री कुमार को सेवा में बहाल किया गया साथ ही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(5) के तहत् दिनांक–28.06.2016 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित करते हुए मुख्यालय–उपायुक्त मद्यनिषेध, पटना–सह–मगध प्रमंडल, पटना का कार्यालय में निर्धारित किया गया। श्री कुमार के पुनः सेवा में बहाल हो जाने के कारण Abeyance को समाप्त करते हुए अधीक्षक मद्यनिषेध, मुंगेर के पदस्थापन अवधि में उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–2643 दिनांक–24.07.2019 द्वारा पुनः विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

3. श्री कुमार के दिनांक–30.09.2022 को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने के कारण विभागीय संकल्प सं0–5231 दिनांक–07.10.2022 के द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया।

4. श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अपर सदस्य, राजस्व पर्षद–सह–जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–176 दिनांक–23.01.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही का अंतिम जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें संचालन पदाधिकारी–सह–जाँच आयुक्त ने अपने जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–9 विश्लेषण एवं निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आरोपित पदाधिकारी का कर्त्तव्य था कि अनुज्ञाशुल्क के रूप में जमा राशि से संबंधित चालानों का बैंक स्क्रौल से मिलान करने के पश्चात् ही पारक निर्गत किया जाना चाहिए। परंतु चालानों का भौतिक सत्यापन किये बिना ही पारक निर्गत किया गया, जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व की क्षति हुई है। बिहार उत्पाद नियमावली के नियम–25 में आरोपित पदाधिकारी के कर्त्तव्य को परिभाषित किया गया है, परंतु आरोपी

पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनदेखी कर कार्य किया गया है। अतएव यह कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का सूचक है जिसके कारण सरकारी राजस्व की क्षति हुई है, जिसके लिए बिहार वित्त नियमावली के नियम–34 (वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली) के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त क्षति के लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी है। सुनवाई के दौरान आरोपित पदाधिकारी विभिन्न तिथियों में अनुपस्थित रहे तथा विभागीय कार्यवाही में वांछित कागजात प्राप्त होने के बाद भी विभाग से अन्य कागजातों के मांग किया जाता रहा तथा बचाव बयान समर्पित करने में टालमटोल किया जाता रहा जो आरोपित पदाधिकारी के उदासीनता एवं असहयोगात्मक रवैये को दर्शाता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित तीनों आरोप क्रमशः कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के फलस्वरूप फर्जी चालान के माध्यम से सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाना, प्रशासनिक क्षमता का अभाव के कारण अधीनस्थ कर्मियों/कार्यालय पर प्रभावकारी नियंत्रण का अभाव होने तथा निजी स्वार्थ के लिये पद का दुरूपयोग कर अनुज्ञाधारियों को अनुचित लाभ पहुँचाकर सरकारी राजस्व का गबन करने का आरोप प्रमाणित किया गया।

5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 के तहत् संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोपों पर विभागीय पत्रांक–792 दिनांक–21.02.2025 एवं पत्रांक–1719 दिनांक–02.04.2025 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय बचाव बयान/अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी जिसके अनुपालन में श्री अश्विनी कुमार, सेवानिवृत्त अधीक्षक मद्यनिषेध द्वारा अपना लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन दिनांक–12.04.2025 को समर्पित किया गया।

6. श्री अश्विनी कुमार, सेवानिवृत अधीक्षक मद्यनिषेध द्वारा समर्पित बचाव बयान में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि उनके विरूद्ध पुनः गठित आरोप पर जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके आवेदन दिनांक 08.08.2023 जिसमें सुसंगत कागजातों/अभिलेखों/सूचना/साक्ष्य की मांग की गयी थी उसे पूर्णरूपेण उपलब्ध नहीं कराया गया एवं उसी को लिखित अभिकथन अंकित करते हुए बिना विवेचना किये एक तरफा कार्रवाई करते हुए सभी आरापों को प्रमाणित कर दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है साथ ही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। यहाँ उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रपत्र 'क' का गठन घटना के 04 साल के बाद गठित किया गया, जो नियमानुकूल नहीं है। श्री कुमार का कहना है कि अनुज्ञा शुल्क के रूप में जमा राशि से संबंधित चालानों को लाने हेतु उत्पाद सिपाही मो0 जक्की इमाम को प्रतिनियुक्त किया था जो प्रधान लिपिक एवं निरीक्षक उत्पाद के संयुक्त समिति द्वारा जाँच की जाती थी और जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता था। इस संबंध में कार्यालय पत्रांक–910 दि0–21.12.2011 द्वारा चालान जाँच से संबंधित पत्र निर्गत किया गया था जिसके अनुपालन में निरीक्षक उत्पाद एवं प्रधान लिपिक के संयुक्त हस्ताक्षर से जाँच प्रतिवेदन कार्यालय को समर्पित किया जाता रहा है एवं संबंधित चालानों का सत्यापन बैंक स्क्रॉल एवं ट्रेजरी स्क्रॉल से करने के पश्चात् सही पाये जाने का प्रमाण पत्र समर्पित किया जाता रहा है। अगर चालान जमा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है तो इसके लिए तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद एवं प्रधान लिपिक ही जिम्मेवार है साथ ही उनका कहना है कि सभी सरकारी निदेशों एवं नियमों का सख्ती से एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ पालन किया जाता रहा है।

उन्होंने यह भी उल्लेख है कि प्रत्येक वर्ष अंक्रेक्षण दल द्वारा सभी चालानों का भौतिक सत्यापन किया जाता रहा है लेकिन एक्सपर्ट होने के बावजूद उनके द्वारा पूर्व में कोई चालान संबंधी घोटाला उजागर नहीं किया गया। मामला अभी ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। अतः उनके द्वारा लिखित अभिकथन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके द्वारा लिखित बचाव बयान को स्वीकार कर विभागीय कार्यवाही में गठित आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

7. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी श्री अश्विनी कुमार द्वारा समर्पित बचाव बयान में अंकित तथ्यों की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अनुज्ञा शुल्क के रूप में जमा राशि से संबंधित चालानों को लाने हेतु मोहम्मद जक्की इमाम, उत्पाद सिपाही को प्रतिनियुक्त किया था तथा चालानों की जाँच हेतु प्रधान लिपिक एवं निरीक्षक उत्पाद का संयुक्त समिति गठित करते हुए मात्र जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया किन्तु उन्होंने कभी भी उन चालानों की जाँच व सत्यापन नहीं किया और न हीं उनके द्वारा प्रधान लिपिक एवं निरीक्षक उत्पाद का संयुक्त समिति के कार्यकलापों की जाँच एवं पर्यवेक्षण किया गया। अगर उनके द्वारा नियमित रूप से संबंधित चालानों का सत्यापन बैंक स्क्रॉल एवं ट्रेजरी स्क्रॉल से किया जाता तो चालान जमा करने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती किन्तु उनके द्वारा अपने सरकारी कर्तव्यों एवं दायित्वों में पूर्णतः लापरवाही बरती गयी जिसके कारण सरकार को लगभग 14 करोड़ रूपये की सरकारी राजस्व की क्षति हुई। उनके इस कृत्य से स्पष्ट है कि उनका अपने अधीनस्थ कर्मियों/कार्यालय कर्मियों पर कोई नियंत्रण नहीं था एवं उनमें प्रशासनिक क्षमता का भी अभाव था। उन्होंने अपने बचाव बयान में कहीं भी अंकित नहीं किया है कि उनके द्वारा नियमित रूप से उन चालानों की जाँच व सत्यापन किया गया है अथवा प्रधान लिपिक एवं निरीक्षक उत्पाद का संयुक्त समिति के कार्यकलापों की जाँच एवं पर्यवेक्षण नियमित रूप से किया गया है। संचालन पदाधिकारी ने भी अपने जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–9 विश्लेषण एवं निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आरोपित पदाधिकारी का कर्त्तव्य था कि अनुज्ञाशुल्क के रूप में जमा राशि से संबंधित चालानों का बैंक स्क्रौल से मिलान करने के पश्चात् ही पारक निर्गत किया जाना चाहिए। परंतु चालानों का भौतिक सत्यापन किये बिना ही पारक निर्गत किया गया, जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व की क्षति हुई है। बिहार उत्पाद नियमावली के नियम–25 में आरोपित पदाधिकारी के कर्त्तव्य को परिभाषित किया गया है, परंतु आरोपी पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनदेखी कर कार्य किया गया है। अतएव यह कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का सूचक है जिसके कारण सरकारी राजस्व की क्षति हुई है, जिसके लिए बिहार वित्त नियमावली के नियम–34 (वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली) के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त क्षति के लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी है। जहाँ तक उनके बचाव बयान में साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने का प्रश्न है, इस संबंध में संचालन पदाधिकारी सह जाँच आयुक्त ने विभागीय कार्रवाई के संचालन के दरम्यान विभिन्न तिथियों में पारित अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा माँगी गयी सभी कागजात उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। निगरानी (आर्थिक अपराध ईकाई) विभाग से संबंधित कागजात आरोपित पदाधिकारी को स्वयं निगरानी न्यायालय से प्राप्त किया जाना है तथा आरोपित पदाधिकारी का रवैया काफी असहयोगात्मक है और कार्यवाही विलंबित करने की मंशा प्रतीत होता है। संचालन पदाधिकारी ने भी अपने जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–9 विश्लेषण एवं निष्कर्ष में भी स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि सुनवाई के

दौरान आरोपित पदाधिकारी विभिन्न तिथियों में अनुपस्थित रहे तथा विभागीय कार्यवाही में वांछित कागजात प्राप्त होने के बाद भी विभाग से अन्य कागजातों की मांग की जाती रही तथा बचाव बयान समर्पित करने में टालमटोल किया जाता रहा जो आरोपित पदाधिकारी के विभागीय कार्यवाही में उदासीनता एवं असहयोगात्मक रवैये को दर्शाता है।

8. अतः संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन/निवेदन/द्वितीय बचाव बयान की अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा समीक्षोपरांत बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी0) के तहत् श्री कुमार के पेंशन राशि से 50% (पचास प्रतिशत) राशि की कटौती 10 (दस) वर्षों के लिए करने के दण्ड के प्रस्ताव में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभागीय पत्रांक–3436 दिनांक 25.06.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय दंड के निर्णय पर अभिमत की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2965 दिनांक–13.10..2025 द्वारा दिनांक–26.09.2025 को सम्पन्न आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक की कार्यवाही में अंकित निर्णय के अवतरण की सत्यापित प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी। उक्त बैठक की कार्यवाही की कंडिका -4 में उल्लेखित है कि सम्यक् विचारोपरांत आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करता है।

9. अतएव संचालन पदाधिकारी–सह–जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, आरोपी पदाधिकारी श्री अश्विनी कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन/द्वितीय बचाव बयान एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के सम्यक् विचारोपरांत श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरूद्ध कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के फलस्वरूप फर्जी चालान के माध्यम से सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाना, प्रशासनिक क्षमता का अभाव होने, अधीनस्थ कर्मियों/कार्यालय पर प्रभावकारी नियंत्रण का अभाव होने एवं निजी स्वार्थ के लिये पद का दुरूपयोग कर अनुज्ञाधारियों को अनुचित लाभ पहुँचाकर सरकारी राजस्व का गबन करने आदि आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी0) के तहत् पेंशन राशि में 50% (पचास प्रतिशत) की कटौती 10 (दस) वर्षों के लिए करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–9/आरोप (राज0उ0)–2–12/2015–...../ पटना, दिनांक–.....
प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–9/आरोप (राज0उ0)–2–12/2015–...../ पटना, दिनांक–.....
प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

(9)

ज्ञापांक–9/आरोप (राज0उ0)–2–12/2015–6065/ पटना, दिनांक–21.10.25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद के आप्त सचिव/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/जिला कोषागार/पदाधिकारी, जहानाबाद/अधीक्षक मद्यनिषेध, जहानाबाद/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री अश्विनी कुमार, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत्त, पता–301, देवलोक अपार्टमेन्ट, न्यू पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना–13 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/10/25

सरकार के संयुक्त सचिव